

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वेत संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ की धारा १४ में, मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) द्वारा किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेत संशोधन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह १ अप्रैल, २००६ से ६ जनवरी, २०१५ तक, अर्थात् मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

२. यह संशोधन अर्थात् मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) द्वारा किया गया मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन, १ अप्रैल, २००६ से ६ जनवरी, २०१५ तक, अर्थात् मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) के प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा १४ के संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण.

३. किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित, मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् स्पष्टीकरण के अनुसरण में की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्रवाई, समस्त प्रयोजनों के लिए, उस सारवान समय पर जब ऐसी कार्रवाई की गई थी, मानो संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अंतःस्थापित स्पष्टीकरण प्रवृत्त था, समझी जाएगी और सदैव ही विधिमान्यतः की गई समझी जाएगी और तदनुसार—

उसके अधीन की गई कार्रवाईयों और किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण.

(क) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा अन्तःस्थापित स्पष्टीकरण के संबंध में किए गए समस्त कृत्य, कार्यवाहियां अथवा बातें, समस्त प्रयोजनों के लिये सदैव ही विधि के अनुसार विधिमान्यतः किए गए अथवा की गई समझी जाएंगी;

(ख) राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी के विरुद्ध, चाहे वह कोई भी हो, के द्वारा की गई किसी कार्रवाई के लिये किसी भी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी अथवा जारी नहीं रखी जाएंगी;

(ग) कोई न्यायालय इस प्रकार की गई कार्रवाईयों को निष्प्रभावी करने वाला कोई आदेश लागू नहीं करेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कराधेय के साथ साथ आगत से कर मुक्त माल के विनिर्माण की दशा में आगत कर रिबेट को स्पष्ट करने के लिए, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा १४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के द्वितीय परंतुक के पश्चात् एक स्पष्टीकरण, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) द्वारा, १ अप्रैल, २००६ से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अंतःस्थापित किया गया था. रिट याचिका क्रमांक ८११८/२०१५ मेसर्स जिंदल एग्री आयल, बालवाड़ा और ३५ अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की इन्दौर खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उक्त संशोधन भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे और साथ ही यह कि विधायिका को विधिमान्यकरण अधिनियम लाकर भूतलक्षी प्रभाव से न्यायिक अविधिमान्य उद्ग्रहण को विधिमान्य करने की शक्ति होगी.

२. यह मान्यता है कि कराधेय के साथ-साथ कर मुक्त माल के विनिर्माण की दशा में आगत पर आनुपातिक आगत कर रिबेट अनुज्ञेय है, विशेष रूप से कर-योग्य माल की दशा में, आगत कर रिबेट की सम्पूर्ण राशि और कर मुक्त माल की दशा में, वह राशि जो ४ प्रतिशत से अधिक है, की ग्राह्यता के विशिष्ट उपबंधों की दृष्टि से, आनुपातिक आगत कर रिबेट प्रारंभ से अर्थात् १ अप्रैल, २००६ से अनुज्ञात की गई थी. माननीय उच्च न्यायालय का विनिश्चय राज्य सरकार को कठिनाईयां उत्पन्न करेगा और मुकदमेबाजी की श्रृंखला को प्रारंभ करेगा, क्योंकि कराधेय के साथ-साथ कर मुक्त माल के विनिर्माता कर मुक्त माल के संबंध में भी पूर्ण आगत कर रिबेट का दावा करेंगे, जिसका परिणाम प्रतिदाय होगा.

३. कठिनाईयों को दूर करने के लिए, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) द्वारा अंतःस्थापित स्पष्टीकरण १ अप्रैल, २००६ से ६ जनवरी, २०१५ तक अर्थात् मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१५) के प्रकाशन की तारीख से पूर्व की तारीख से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने के लिये, विधिमान्यकरण अधिनियम अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०१७

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

